

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31/10/2009

क्रमांक एफ 2-38/2009/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सविदा चिकित्सकों को नियमितीकरण करने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, में वृद्धि कर 35 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष करने का निर्णय मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 13.10.2009 को लिया गया।

2/- राज्य शासन एतद् द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक अर्थात् 31 अक्टूबर 2009 से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सविदा चिकित्सकों को नियमितीकरण करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष निर्धारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम. रफीक खान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ० क्रमांक एफ 2-38/2009/सत्रह/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 31/10/2009

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, जनसम्पर्क, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल-सविदा/09/ 2497-जी गोपाल, दिनांक 18/12/09  
प्रति.

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश।

विषय :-सविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सकों का नियमितकरण किये जाने के संबंध में वर्क रिपोर्ट भेजने बाबत।

संदर्भ- म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ-2-38/09/17  
मेडि-1 दिनांक 17.11.2009.

\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शासन ने सविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के नियमितकरण आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

अतः सविदा के लिये निर्मित 300 पद के विरुद्ध कार्यरत सविदा चिकित्सकों जिन्होंने दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो,इस परिधि में आने वाले ऐसे समस्त (आर.सी.एच./एन.आर.एच.एन. योजना के अन्तर्गत कार्यरत सविदा चिकित्सकों को छोड़कर) चिकित्सा अधिकारियों के नियमितकरण के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर वेतन पत्रक सहित शीघ्र उपलब्ध करायें।



(सुरेन्द्र उपाध्याय),

अपर संचालक(विज्ञप्त),

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य-प्रदेश

पू० क्र./01/विज्ञप्त/सेल-सविदा/09/

प्रतिलिपि :-

1. सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय की ओर उपरोक्त संदर्भ में सूचनाार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना डी ओर भेजकर लेख है कि डॉ.मोहम्मद अतीक खान,सविदा चिकित्सा अधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिवीरा,जिला सतना का नियमितकरण प्रस्ताव पुनः भेजे।

11  
अपर संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य-प्रदेश